

अधिसूचना संख्या 166/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1953(ई), दिनांक 20-7-2015

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एसओ 234(ई) दिनांक 15 फरवरी, 2007 द्वारा, केंद्र सरकार ने क्रम संख्या 13 पर, "शांति समाज सेवी समिति, 2/377, खतराना स्ट्रीट, फर्रुखाबाद - 209625, (उत्तर प्रदेश)" द्वारा "स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए" को वित्तीय वर्ष 2006-2007 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित किया था, जिसे अधिसूचना संख्या एसओ 2610(ई) दिनांक 14 अक्टूबर, 2009 द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था और जिसे अधिसूचना संख्या एसओ 664(ई) दिनांक 12 मार्च, 2013 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ होकर तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम का विस्तार नौ वर्ष से अधिक होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या स्कीम का क्रियान्वयन उचित रूप से किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए एक और सिफारिश की है;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, "स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए" योजना या परियोजना को अधिसूचित करती है, जो "शांति समाज सेवी समिति, 2/377, खतराना स्ट्रीट, फर्रुखाबाद - 209625, (उत्तर प्रदेश)" द्वारा अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना 71.40 लाख रुपये से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए पात्र परियोजना या योजना के रूप में किया जा रहा है, यानी 2015-16, 2016-17 और 2017-18।

■ ■